

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 303] नई दिल्ली, बहुस्पतिवार, दिसम्बर 13, 1973/अग्रहायण 22, 1895

No 303] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 1973/AGRAHAYANA 22, 1865

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th December 1973

SUBJECT.—Import Policy for April 1973—March 1974.

No. 218-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974.

2. The existing remark in Col. (3) against Sl. No. 10 of Schedule 'B' of Appendix 41 of the Red Book (Vol. I) (Page 267) may be deemed to have been substituted by the following:—

"Import of 40 per cent of requirement allowed in the form of billets or wire rods."

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर 1973

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात नीति ।

सं० 218 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—अप्रैल 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० I) में यथा निहित आयात की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. रेडबुक (वा० I) (पृष्ठ संख्या 267) के परिशिष्ट 41 की अनुसूची 'बी' की क्रम संख्या 10 के सामने के कालम (3) की वर्तमान टिप्पणी को निम्नालिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए:—

“बिलेट या वायर राड के रूप में स्वीकृत जरूरत के 40 प्रतिशत का आयात।”

एस० जी० बोस मल्लिक;

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।